न्यायालय तृतीय अपर सेशन जज, हरिद्वार।

उपस्थितः– अनिरूद्ध भट्ट, उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा।
फौजदारी निगरानी संख्या–475/2022
कम्प्यूटर फाईलिंग नं0–443/2022
C.N.R. No.- UKHA01-006400-2022

———————————————————————————————

भारतीय स्टेट बैंक (कृषि विकास शाखा)
शाखा कार्यालय रामनगर रूड़की, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार द्वारा अधिकृत अधिकारी/उप–प्रबन्धक, कृषि, गौरव कश्यप।

–––निगरानीकर्ता/प्रार्थी।

बनाम

1–उत्तराखण्ड सरकार द्वारा डी0जी0सी0, क्रिमिनल।
2–संदीप कुमार पत्र पुत्र अतर सिंह, निवासी ग्राम समसपुर खुण्डेवाली थाना झबरेड़ा तहसील रूड़की जिला हरिद्वार।

––उत्तरदातागण/विपक्षीगण।

———————————————————————————————

निगरानीकर्ता की ओर से अधिवक्ता–श्री ज्ञानेश्वर ठकराल
उत्तरदाता सं0 1 की ओर से– श्री कुशलपाल सिंह चौहान, ए0डी0जी0सी0(फौजदारी)
उत्तरदाता सं0 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

———————————————————————————————

निर्णय

दिनांकः 04.06.2024:–

प्रस्तुत फौजदारी निगरानी, निगरानीकर्ता ने विद्वान अवर न्यायालय/अपर वरिष्ठ सिविल जज/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रूड़की, हरिद्वार द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या–197/2021, भारतीय स्टेट बैंक बनाम संदीप कुमार अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में पारित आदेश दिनांकित 19–07–2022 से व्यथित होकर योजित की गई है, जिसके माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता को निरस्त कर दिया गया।

(2).इस निर्णय में आगे निगरानीकर्ता को प्रार्थी एवं उत्तरदाता संख्या 1 को अभियोजन पक्ष व उत्तरदाता संख्या 2 को विपक्षी कहकर भी सम्बोधित किया जाएगा।

(3).विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 19–07–2022 से व्यथित होकर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी योजित करते हुए, संक्षेप में, यह आधार लिया गया है कि, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है। विद्वान

विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय विधि के सुस्थापित सिद्धांतों एवं विधिक प्राविधानों को पूर्णतया अनेदखा किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश न्याय एवं विधि की मूल भावना के विपरीत है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय निगरानीकर्ता के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत विधि निर्णय एवं विधिक प्राविधानों की मूल भावना को अनदेखा कर गलत विवेचना करने का कार्य किया है। स्पष्ट है कि उपरोक्त अभियुक्त/प्रतिउत्तरदाता संख्या–2 द्वारा जानबूझकर व आपराधिक षड़यंत्र करते हुये धोखा व छल तथा कूटरचना कर दस्तावेज प्रस्तुत करते हुये उपरोक्त कृषि ऋण सुविधा प्राप्त कर लेने का संज्ञेय अपराध कारित किया गया है, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस कानूनी स्थिति को अनदेखा करते हुये सम्बन्धित मामले में प्रार्थी व विपक्षी के मध्य मुख्यतः लेने देन की बाबत विवाद होने तथा पूर्णतः दीवानी प्रकृति का विवाद होने एवं प्रार्थी द्वारा दीवानी प्रकृति के मामले को दाण्डिक कार्यवाही में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाना प्रतीत होने का कथन किया गया है। अभियुक्त प्रतिउत्तरदाता/ऋणी द्वारा शुरू से ही आपराधिक दुराश्य से कार्य करते हुये कूटरचित व असत्य दस्तावेज प्रस्तुत कर धोखाधड़ी करते हुये उपरोक्त ऋण सुविधा प्रार्थी बैंक से प्राप्त कर लेने एवं आपराधिक न्यायभंग करने का आपराधिक कृत्य किया है, जो कि संज्ञेय अपराध है तथा इस आपराधिक कृत्य के लिए नियमानुसार विवेचना कराया जाना तथा अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना कानूनन अपेक्षित एवं आवश्यक था, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा न कर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 19–07–2022 को निरस्त किया जाये तथा अभियुक्त/प्रतिउत्तरदाता संख्या–2 द्वारा किये आपराधिक कृत्य के लिए नियमानुसार विवेचना व कानूनी कार्यवाही करने के आदेश पारित किये।

(4).निगरानी पर निगरानीकर्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना गया। न्यायालय द्वारा निगरानी पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी संख्या–2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निष्कर्ष

(5).प्रस्तुत निगरानी, निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 19–07–2022 के विरूद्ध योजित की गई है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त कर दिया।

(6).इस निगरानी न्यायालय को विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश की शुद्धता, वैधता एवं औचित्यता के बारे में अभिमत दिया जाना है।

(7).प्रश्नगत आदेश के सम्बन्ध में, निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क था कि, निगरानीकर्ता के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 में कथित कथनों से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का कारित होना साबित था, परन्तु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर मामले को सिविल प्रकृति का कहते हुये निरस्त कर दिया गया। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क था कि, विपक्षी द्वारा निगरानीकर्ता से जालसाजी करते हुये ऋण के एवज में बन्धक की गई सम्पत्ति को विक्रित कर दिया गया, जो कि विपक्षी द्वारा निष्पादित शर्त के विरूद्ध था।

(8).निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत उक्त तर्कों के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता के प्रार्थनपत्र अन्तर्गत धारा 156।3। दं0प्र0सं0 का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट है कि, निगरानीकर्ता बैंक द्वारा विपक्षी पर मुख्य रूप से यह आरोप लगाया गया है कि, विपक्षी द्वारा निगरानीकर्ता से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए ऋण प्राप्त किया गया तथा ऋण के सम्बन्ध में उसकी अचल सम्पत्ति को बन्धक बनाया गया। उक्त बाबत विपक्षी द्वारा इस बिन्दु का शपथपत्र निगरानीकर्ता को दिया गया कि, ऋण व ब्याज की अदायगी तक विपक्षी उसकी सम्पत्ति को किसी अन्य को विक्रित नहीं करेगा, परन्तु विपक्षी द्वारा उसकी बन्धक रखी सम्पत्ति में से 0.1366 भूमि दिनांक 20–08–2016 को विक्रय–पत्र के माध्यम से विक्रय कर दिया गया। उक्त के अलावा, विपक्षी द्वारा उक्त सम्पत्ति को बंधक बना कर अन्य बैंक से लोन ले लिया गया।

(9).निगरानीकर्ता द्वारा उसके प्रार्थनापत्र में कथित उक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि, निगरानीकर्ता मुख्यतः विपक्षी द्वारा निगरानीकर्ता बैंक

से ऋण लेने व ऋण हेतु उसकी सम्पत्ति बन्धक करने के बाद बन्धक सम्पत्ति के बेचने व अन्य लोन लेने के कृत्य से आहत है, जबकि निगरानीकर्ता के अनुसार ही, विपक्षी द्वारा यह शपथ–पत्र दिया गया था कि, विपक्षी बन्धक सम्पत्ति को विक्रित नहीं करेगा।

(10).उक्त सम्बन्ध में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि, निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत मामले में कहीं पर भी यह कथन नहीं किया गया है कि, ऋण लेते समय विपक्षी द्वारा बंधक बनाई गई सम्पत्ति का स्वामित्व विपक्षी के पास नहीं था। ऐसे में, ऋण लेते समय विपक्षी का कोई दुराशय होने का तथ्य मामले में दर्शित नहीं है।

(11).उक्त के अतिरिक्त, निगरानीकर्ता का कहीं पर भी यह तर्क नहीं है कि, विपक्षी द्वारा बन्धक बनाई गई सम्पत्ति निगरानीकर्ता द्वारा दिये गये ऋण के भुगतान हेतु पर्याप्त नहीं है, जबकि स्वयं निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत विपक्षी की खतौनी से विपक्षी के नाम काफी सम्पत्ति होना दर्शित होती है। इसी प्रकार, विपक्षी द्वारा बंधक सम्पत्ति को पुनः बंधक रख कर ऋण लिये जाने का कृत्य भी विधिविरूद्ध नहीं है, जबकि बंधक बनाई गई सम्पत्ति अन्य ऋण के भुगतान हेतु सक्षम है। दूसरे शब्दों में, एक सम्पत्ति पर ही कई ऋण लिए जा सकते है, यदि सम्पत्ति का मूल्य पर्याप्त है तो।

(12).इसके अलावा, यदि निगरानीकर्ता, विपक्षी द्वारा निष्पादित शपथपत्र के उल्लंघन से आहत है, तब भी उक्त हेतु निगरानीकर्ता को सिविल न्यायालय में कार्यवाही योजित करनी चाहिए थी तथा उक्त शर्तों के उल्लंघन के कारण विपक्षी के पूर्व आशय की कोई अवधारणा नहीं की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त, विपक्षी द्वारा निष्पादित शपथपत्र की शर्तों का उल्लंघन स्वयं में ही एक सिविल विवाद है। ऐसे में, अन्यथा भी निगरानीकर्ता के प्रार्थनापत्र में कथित कथनों से किसी दाण्डिक अपराध का कारित होना दर्शित नहीं होता है।

(13).ऐसे में, उपरोक्त समस्त विवेचना के आलोक में, इस न्यायालय के मत में, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश से निगरानीकर्ता का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156।3। दं0प्र0सं0 निरस्त कर कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है। तद्नुसार, निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

(14).निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त की जाती है।

(15).इस निर्णय की एक प्रति, सम्बन्धित अवर न्यायालय की मूल पत्रावली के साथ भेजी जाये।

(16).निगरानी पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर होवे।

दिनांकः 04.06.2024

(अनिरूद्ध भट्ट)
तृतीय अपर सेशन जज,
हरिद्वार।

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 04.06.2024

(अनिरूद्ध भट्ट)
तृतीय अपर सेशन जज,
हरिद्वार।